प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्रमांक 2920/2005

याचिकाकर्ता - राम कुमार पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री राजीव श्रीवास्तव सहित श्री इंद्रसेन साहू, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 5 एवं 6 की ओर से श्री एस.एन. नांदे, अधिवक्ता उ ।

उत्तरवादी क्रमांक 4 एवं 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

....

आदेश

(दिनांक 16 जनवरी, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.04.2005 (अनुलग्नक पी.-2) के आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा ग्राम सभा द्वारा दिनांक 18.04.2005 को पारित प्रस्ताव के आधार पर याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद से हटा दिया गया।

(2) निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत खरवानी बड़े, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ में पंचायत कर्मी के रूप में कार्यरत था। याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 20.04.2005 (अनुलग्नक पी.-2) के आदेश द्वारा समाप्त कर दी गईं, बिना विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए, जैसा कि मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा

(अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 7 में निर्धारित है (जिसे आगे 'अपील नियम, 1999' कहा गया है)।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं का यह तर्क है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.04.2005 (अनुलग्नक पी.-2) विधि विरुद्ध एवं दोषपूर्ण है, क्योंकि उक्त आदेश मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 5 के अनुसार "गंभीर दंड" के अंतर्गत आता है। अतः, नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई प्रदान किए बिना ऐसा दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता था।

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. नान्दे का तर्क है कि अपील नियम, 1999 याचिकाकर्ता की 'पंचायत कर्मी' के रूप में सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 'मानसेवी' के रूप में की गई थी, इसलिए अपील नियम, 1999 लागू नहीं होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 (इसके बाद 'भर्ती नियम, 1999') उन पदों पर लागू नहीं होते हैं जो अंशकालिक आधार पर या संविदा के आधार पर होते हैं, और याचिकाकर्ता की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय में आने से पहले याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और याचिकाओं तथा उनके साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को आक्षेपित आदेश दिनांक 20-04-2005 (अनुलग्नक पी.-2) द्वारा अपील नियम, 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था।

6. नोटिस की तामीली के संबंध में, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 और उत्तरवादी क्रमांक 5 एवं 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने यह स्वीकार किया है कि आरोपों के आधार पर निश्चित आरोप विरचित करके कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई थी और याचिकाकर्ता को अपील नियम, 1999 के नियम 7 के तहत अपेक्षित अभियोग-पत्र नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 18-04-2005 से पहले एक नोटिस दिया गया था, जब ग्राम सभा ने अपनी बैठक आयोजित की थी और याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया था।

7. भर्ती नियम, 1999 की प्रयोज्यता के संबंध में, भर्ती नियम, 1999 के नियम 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भर्ती नियम, 1999 जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सभी पदों पर लागू होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के पदों पर लागू नहीं होते हैं। विचाराधीन प्रकरण ग्राम पंचायत का मामला है। अपील नियम, 1999 यह प्रावधान करते हैं कि ये नियम जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्वहन करने वाले और उनके मामलों के संबंध में नियोजित सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे। अपील नियम, 1999 का नियम 2(च) "पंचायत सेवा के सदस्य" या "पंचायत सेवक" को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसका अर्थ है पंचायत सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, और इसमें पंचायत सेवा को आवंटित अधिकारी या सेवक भी शामिल हैं। अपील नियम, 1999 के लागू होने के लिए, ये नियम अंशकालिक पंचायत कर्मी या पूर्णकालिक पंचायत कर्मी के बीच कोई भेदभाव या अंतर नहीं करते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह प्रकरण पूरी तरह से इस न्यायालय द्वारा **'जीत राम कुर्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य'** (रिट याचिका क्रमांक 2106/2005) तथा **'ढालूराम कोसरे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य'**[1] में पारित दिनांक 14-11-2006 के निर्णय से आच्छादित है।

9. प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, यह निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है कि यह प्रकरण इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अंतर्गत आता है।

---

1 2006 (2) C.G.L.J. 186

10. उपरोक्त कारणों, विवेचनाओं और इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर, सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 20-04-2005 (अनुलग्नक पी.-2) दोषपूर्ण है और इसे अभिखण्डित किया जाता है।

11. पिछले वेतन के प्रश्न पर, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया है कि इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित था या नहीं। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखते हुए कि सेवा समाप्ति का आदेश मेरिट (योग्यता) के आधार पर नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने से पहले वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण दूषित हुआ है, न्याय के हित में 30% पिछला वेतन देना पर्याप्त होगा।

12. तद्नुसार, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**